

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: एफ.1 (90) डी.एम.ई./16/6305

जयपुर, दिनांक: 15/9/2016

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड-पे रू0 6600/-) में अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं। अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 (2)एफ.डी./रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होंगे:-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	दिनेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री गंगासहाय शर्मा, 50/175, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर-302020	एम-04	29-01-1974	GE, RG	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
2	दिनेश दत्त शर्मा पुत्र श्री गुलाब चन्द शर्मा, द्वारा पवन कुमार शर्मा, शॉप न. सी-5, कृष्णा नगर, न्यु पाली रोड, जोधपुर-342005	एम-06	30-10-1982	GE, RG	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
**3	हर्ष कुमार पुत्र श्री मिठूलाल कारपेन्टर द्वारा कौशल किशोर शर्मा, टिप्पर कैंयर सेंटर, पेट्रोल पम्प के पास, बाजार न.3, रामगंज मण्डी, जिला कोटा-326519	एम-08	24-06-1982	GE, RG	मेडिकल कॉलेज, कोटा
4	ललित किशोर पुत्र श्री पारस मल गर्ग (कम्पाउन्डर), मामाजी की गली, न्यु आबादी सादडी, तह0 देसूरी, जिला पाली-306702	एम-18	28-07-1986	SC	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
5	डॉ0 धर्मवीर जाजड़ा पुत्र श्री कोजाराम जाजड़ा, एफ-1, राजपत्रित आवासगृह (नवनिर्मित), राजकीय बॉगड चिकित्सालय परिसर, डीडवाना, नागौर-341303	एम-19	22-07-1980	BC, RG	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
6	धर्मा राम पुत्र श्री गोरधन राम सी-151 ए, कमला नेहरू नगर, प्रथम एक्सटेंशन, जोधपुर-342009	एम-22	05-04-1981	BC, RG	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
7	भागचन्द खोरवाल पुत्र श्री रेवड राम सी-48, सहयोग अपार्टमेंट, टावर-2, सेक्टर-6, विधाधर नगर, जयपुर	एम-25	10-10-1983	SC	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।



कृ.प.उ.

ई-मेल directormedicaleducation@gmail.com


यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र/आदेश संख्या प.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक 13(1)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (आर.पी.एस.सी. से प्राप्त छाया प्रति के आधार पर) से सत्यापित कर ली गयी है।

** क्रम संख्या ~~0.3~~ पर अंकित अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके द्वारा मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र एवं अटेस्टेशन फार्म ^{प्रस्तुत करने} के अधधीन रहेगी।


इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अधधीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधधीन होगी।

आदेश से,

(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन विशिष्ट सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7 (34)भर्ती/गोपनीय/2013-14/127 दिनांक 11.07.2016 के सन्दर्भ में।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर।
7. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: एफ.1 (90) डी.एम.ई./16/6310

जयपुर, दिनांक: 15/9/2016

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंशा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड-पे रू0 6600/-) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 26,670/- प्रतिमाह की दर पर तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी/रूल्स/06 दिनांक 03.07.2014 के तहत अस्थाई रूप से एक वर्ष के परीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्बन्ध अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	भैरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रोहिताश गुप्ता गकान नम्बर, 649, महावीर नगर, द्वितीय (11), कोटा-324005	एम-01	31-08-1984	GE	मेडिकल कॉलेज, कोटा
2	ईश्वर दान चारण पुत्र श्री एस0के0डी0 चारण, 5-सी-46, जे0एन0वी0 कॉलोनी, बीकानेर-334003	एम-02	02-12-1979	BC	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
3	प्रवीण कुमार जोशी पुत्र श्री अमरनाथ शर्मा, 11-प्रताप नगर, खातीपुरा मेन रोड, जयपुर-302021	एम-03	19-09-1982	GE	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
4	पंकज कुमार पोरवाल पुत्र श्री रामावतार पोरवाल, कमरा नम्बर-312, रेजिडेंट होस्टल, एस रेजीडेन्सियल कॉम्प्लेक्स, एम्स, जोधपुर-	एम-05	24-04-1984	GE	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
5	सोमेश्वर बंसल पुत्र श्री शशिकान्त बंसल, वार्ड नं. 19, जगदम्बा कॉलोनी, खेरली, जिला अलवर-321606	एम-07	08-12-1980	GE	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
6	आशुतोष पंचोली पुत्र श्री राजेश्वर कुमार पंचोली, 65/7, जैन श्वेताम्बर मंदिर के पास, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा-311201	एम-09	04-01-1983	GE	मेडिकल कॉलेज, अजमेर
7	राम प्रसाद पुत्र श्री नारायण राम, बंगला नम्बर 357, पांच बंगला रोड, रेलवे अस्पताल के पास, ब्यावर रोड, रामगंज, अजमेर-305001	एम-10	01-07-1983	GE	मेडिकल कॉलेज, अजमेर
8	मोहित कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन, 46-ए, आर्य नगर, स्क्रीम-1, अलवर-301001	एम-11	04-09-1983	GE	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
9	डॉ. आनन्द नागर द्वारा श्री दीपक कुमार, एसए/74-75, गली नं. 2, सतनगर, करौलबाग, नई दिल्ली	एम-12	01-03-1984	GE	मेडिकल कॉलेज, कोटा
**10	संतोष कुमार धाकड़ पुत्र श्री सुरेश चन्द धाकड़, 160, ध्रुव मार्ग, गुरु नानकपुरा, राजापाक, जयपुर-302004	एम-13	01-05-1984	BC	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
11	प्रभु दयाल सिवार पुत्र श्री मोहन राम, ग्राम पोस्ट-सुखवासी, तह0 नागौर, जिला नागौर-341001	एम-15	09-10-1985	BC	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
*12	नरेन्द्र चौधरी पुत्र श्री मोहन राम, 3ई 127, ई-ब्लॉक, एनआईटी-3, फरीदाबाद, हरियाणा	एम-16	03-04-1983	BC	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
13	संदीप खददा पुत्र श्री महिपाल सिंह खददा, ई-85 (ए), कान्ता खतुरिया कॉलोनी, बीकानेर	एम-17	17-07-1983	BC	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
**14	कैलाश चन्द कुरडिया पुत्र श्री अर्जुन जाल कुरडिया, 11, सुन्दर घाटिका, आजाद नगर के पास, चौधरी पैट्रोल पम्प के पीछे, टोक रोड, सांगानेर थाना, जयपुर	एम-20	26-12-1984	SC	मेडिकल कॉलेज, अजमेर
15	देवेन्द्र सेनी पुत्र श्री द्वारका प्रसाद सेनी, सेनी गैस्ट हाउस के पास, कमा की टापी, वार्ड नं. 10, राजपुरा, पिलानी, तह0 सुरजगढ़, झुंझुनू-333031	एम-21	21-06-1985	BC	मेडिकल कॉलेज, जयपुर

16	गरिमा अग्रवाल पत्नि जॉ0 पवन कुमार अग्रवाल, सहायक आचार्य, फ्लेट नं. 3, जनाना अस्पताल परिसर, चौदगोल, जयपुर-302001	एम-23	02-09-1984	GE,WE	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
17	रामबाबू मीना पुत्र श्री राजू लाल मीना, ग्रा.पो. ईसरीखेड़ा, पोस्ट-रीदली, तह0 महंगा, जिला दौसा-321609	एम-24	02-07-1983	ST	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
18	जॉ0 देशराज चावला पुत्र श्री लालराम चावला, 10/55, टैगोर पब्लिक स्कूल के सामने, प्रताप यादव स्टेडियम के पास, चित्रकूट, वैशाली नगर, जयपुर-302021	एम-26	23-08-1982	SC	मेडिकल कॉलेज, कोटा
19	नरेश कुमार मीणा पुत्र श्री राम सहाय मीणा, प्लॉट नं. ए-27, आजाद नगर, एयरपोर्ट के पास, सांगानेर, जयपुर	एम-27	08-05-1984	ST	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
20	दीक्षा मेहता पुत्री श्री आर0 वी0 मेहता, 11-ए, हरबंस नगर, जलधर, पंजाब-144002	एम-28	08-12-1984	GE,WE	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
*21	अनुकृति सूद पुत्री श्री बालू कृष्ण सूद, ब्लू-II, फ्लेट नं. 5, सेक्टर-6, विद्याधर नगर, जयपुर	एम-29	11-12-1985	GE,WE	मेडिकल कॉलेज, अजमेर

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र/आदेश संख्या प.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक 13(1)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सकों के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सकों की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (आर.पी.एस.सी. से प्राप्त छाया प्रति के आधार पर) से सत्यापित कर ली गयी है।


* क्रम संख्या 12 एवं 21 पर अंकित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पुलिस सत्यापन के अधधीन रहेगी यदि पुलिस सत्यापन में कोई भी विपरीत टिप्पणी प्राप्त हुई तो उक्त नियुक्ति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।

** क्रम संख्या 10 एवं 14 पर अंकित अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके द्वारा मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र एवं अटेस्टेशन फार्म के अधधीन रहेगी। क्रम संख्या 09 से कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अटेस्टेशन फार्म प्राप्त करना सुनिश्चित करे।

इन्हे आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अधधीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधधीन होगी।

आदेश से,



(भगवत सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन विशिष्ट सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7 (34)भर्ती/गोपनीय/2013-14/127 दिनांक 11.07.2016 के सन्दर्भ में।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर।
7. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
8. निजी पत्रावली/शिक्षित पत्रावली।

